भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-151

उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

त्रिभाषा नीति

†151. **श्री बी. मणिक्कम टैगोर:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिभाषा नीति और विशेषकर हिंदी को वैकल्पिक भाषा बनाने के मामले में सरकार द्वारा अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार शिक्षा नीति में स्पष्ट दृष्टि और निर्णायक नेतृत्व के अभाव को दर्शाता है;

(ख) क्या सरकार का क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन बनाने वाली एक व्यापक भाषा नीति विकसित करने हेतु भाषायी और शैक्षिक विशेषज्ञों से परामर्श करने का विचार है;

(ग) सरकार हिंदी के संबंध में सरकारी प्रस्तावों को वापस लेने से राजनीतिक लाभ उठाने के आरोप का उत्तर किस प्रकार देगी और क्या यह निर्णय बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को समाप्त नहीं करेगा; और

(घ) भविष्य में इस तरह की नीतिगत उलट-पलट को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों और राज्य की भाषायी विरासत के सर्वोत्तम हित में निर्णय लिए जाएं, सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): संसदीय संकल्प (1968), (जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के रूप में भी जाना जाता है), के द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्कूल प्रणालियों में कार्यान्वयन के लिए त्रिभाषा फार्मूला अपनाया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 अनुच्छेद 4.13 में यह प्रावधान करती है कि "संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं, तथा बहुभाषावाद के साथ-साथ

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रि-भाषा सूत्र का कार्यान्वयन जारी रहेगा। तथापि, त्रि-भाषा सूत्र में अधिक लचीलापन होगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा अधिरोपित नहीं की जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएँ राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की पसंद होंगी, बशर्ते कि इन तीन भाषाओं में से कम से कम दो भारत की मूल भाषाएँ हों।"

एनईपी 2020 के अनुवर्ती के रूप में, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई), 2023 विकसित की गई है जो भारत में भाषा शिक्षा संबंधी एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है। एनसीएफ का उद्देश्य एक विद्यार्थी को कम से कम तीन भाषाओं, जिन्हें आर1, आर2 और आर3 कहा जाता है, में स्वतंत्र वक्ता, पाठक और लेखक बनाना है। आर1 वह पहली भाषा है जिसमें विद्यार्थी साक्षर होते हैं, जो आदर्श रूप से उनकी मातृभाषा या, यदि संभव न हो तो, राज्य की भाषा, या एक परिचित भाषा होगी, जिसमें 8 वर्ष की आयु तक दक्षता अपेक्षित है, आर2, आर1 से भिन्न दूसरी भाषा है, जिसमें 11 वर्ष की आयु तक दक्षता प्राप्त की जानी होती है तथा आर3, आर1 और आर2 से भिन्न तीसरी भाषा है, जिसमें 14 वर्ष की आयु तक दक्षता प्राप्त करने का लक्ष्य है।

भारत सरकार नीति निर्माण और पाठ्यक्रम विकास के लिए नियमित रूप से विशेषज्ञों, भाषाविदों और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के नीति निर्माताओं, पाठ्यक्रम विकासकर्ताओं और कार्यान्वयनकर्ताओं, कार्यरत शिक्षकों और विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, अभिभावकों, गैर सरकारी संगठनों और (विद्यार्थियों सहित) क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से परामर्श करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के निरूपण से पहले बड़ी संख्या में हितधारकों से व्यक्तिगत रूप से और डिजिटल माध्यमों से भी परामर्श किया गया। इस नीति को बनाने के लिए सभी क्षेत्रों/राज्यों से परामर्श किया गया तथा विभिन्न स्कूल प्रणालियों की राय और प्रक्रियाओं को भी ध्यान में रखा गया।

इसके अतिरिक्त, चूंकि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची के तहत एक विषय है, इसलिए संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों को एनईपी, 2020 की भावना और सिफारिशों के अनुसार, तीन भाषा नीति को लागू करने के तौर-तरीकों पर निर्णय लेना है। यह नीति बहुभाषावाद को बढ़ावा देने पर बल देती है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय आवश्यकताओं, भाषाई विविधता और कार्यान्वयन व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए लचीले ढंग से त्रिभाषा फार्मूला अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

****